भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 490

25 जून, 2019 के लिए प्रश्न

भाण्डागारों में अतिरिक्त भंडार

490. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

डॉ. प्रीतम गोपीनाथराव मुंडे:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भाण्डागारों/गोदामों में अत्यधिक स्टॉक जमा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम के भाण्डागारों/गोदामों में जमा अतिरिक्त स्टॉक की मात्रा कितनी है;

(ग) अतिरिक्त स्टॉक की संभलाई पर भारतीय खाद्य निगम कितनी अतिरिक्त लागत वहन कर रही है;

(घ) क्या सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएसएसए) के अंतर्गत लाभार्थियों को अतिरिक्त राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्रदान करने वाले किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

(श्री राम विलास पासवान)

(क) और (ख): खुली खरीद की वर्तमान प्रणाली में भारतीय खाद्य निगम किसानों द्वारा लाया गया समस्त खाद्यान्न, जो निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए बाध्य होता है। इसके परिणामस्वरूप , पिछले कुछ वर्षों के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्यान्न उत्पादन में हुई निरंतर वृद्धि के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद भी लगातार बढ़ रही है। दिनांक 01 जून, 2019 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का स्टॉक 741.41 लाख टन था, जिसमें 275.81 लाख टन चावल और 465.60 लाख टन गेहूं शामिल था। दिनांक 01 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार 210.40 लाख टन के खाद्यान्नथ स्टॉकिंग मानदंड की तुलना में केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों का वास्तविक स्टॉक463.86 लाख टन था।

.....2/-

(ग): भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहन की जाने वाली रखरखाव की वार्षिक लागत गेहूं के संबंध में 29.56 करोड़ रुपए प्रति लाख टन और चावल के संबंध में 41.21 करोड़ रुपए प्रति लाख टन है।

(घ) और (ड.): सरकार ने जुलाई , 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) अधिनियमित किया है , जिसमें 67 प्रतिशत जनसंख्या (ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत) को अत्यधिक राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने की कानूनी पात्रता प्रदान की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणी के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से तथा अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह की दर से न्यूट्री सीरियल्स , गेहूं तथा चावल के लिए क्रमशः 1/- रुपये , 2/- रुपये तथा 3/- रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दरों पर आवंटित किए जाते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कवरेज वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। यह अधिनियम अब सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है और इसमें लगभग 81.35 करोड़ व्यक्तियों को कवर किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा अन्य कल्याण स्कीमों के अंतर्गत खाद्यान्नों का वार्षिक उठान लगभग 610 लाख टन है। केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों का अतिरिक्त स्टॉक समाप्त करने के लिए भारत सरकार खुला बाजार बिक्री योजना के माध्यम से निपटान तथा सरकार-से-सरकार आधार पर निर्यात के विकल्प का सहारा लेती है , क्योंकि सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग से निर्यात करना विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) मानदण्डों से सुसंगत नहीं है।

*****